# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

## बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या –31/2018**

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती गवरी देवी पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर तहसील खींवसर जिला नागौर | | तहसीलदार खींवसर |

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 6/8/2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2018 सरकार बनाम श्रीमती गवरीदेवी वगैरह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.02.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी की झुठी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार खींवसर द्वारा गांव हनुमानसागर के खसरा नम्बर 264 गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट का 08 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलांट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को 08 बिस्वा भूमि से बेदखल करने तथा रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित किया गया।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गांव हनुमानसागर के खसरा नम्बर 247 की भूमि अपीलांट तथा अन्य सह खातेदारो के खातेदारी की भूमि है। अपीलांट के खातेदारी की इस भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 264 रास्ता है तथा इस रास्ते के दक्षिण में खसरा नम्बर 425 व 430 की भूमि है। खसरा नम्बर 425 इसाराम, हीराराम पुत्रगण पदमाराम के खातेदारी की तथा खसरा नम्बर 430 दलाराम गणेशराम के खातेदारी की भूमि है। अपीलांट का अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 247 में दक्षिणी तरफ रहवासी मकान बना हुआ है जो अपीलांट की खातेदारी की भूमि में दक्षिणी माठ पर बना हुआ है। अपीलांट का कोई अतिक्रमण, रास्ता खसरा नम्बर 264 पर नहीं है।

खसरा नम्बर 264 की भूमि पर खसरा नम्बर 425 व 430 के खातेदारो ने उतर की तरफ रास्ते की भूमि पर बढ़कर अतिक्रमण कर रखा है तथा पटवारी ने खसरा नम्बर 425 व 430 के खातेदारो से मिलावट कर इस रास्ते पर अपीलांट और खसरा नम्बर 247 के अन्य खातेदारो का अतिक्रमण गलत बताया है।

कलक्टर, नागौर

अपीलांट को किसी तरह का कोई नोटिस निर्णय पारित करने से पूर्व नहीं दिया गया और न ही अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने व सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का न तो मौके पर आया और न ही उसने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की पत्रावली में भी पटवारी की ऐसी नाप चोप रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि से आगे बढकर रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रखा हो, अपीलांट को निर्णय की आज जानकारी होते ही अपीलांट ने तहसीलदार खींवसर तथा एडीओ खींवसर के समक्ष आर.आई. और पटवारियों की चार सदस्य टीम गठित कर अपीलांट की भूमि तथा खसरा नम्बर 264, 425 और 430 का कांकड मुटाम से सही नाप कराकर न्याय दिलाने का निवेदन किया मगर

अपीलांट के आवेदन पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई चूंकि अपीलांट के खातेदारी की चिपती 08 बिस्वा भूमि का विवाद पटवारी द्वारा बताया गया है और अपीलांट अपना कब्जा अपने खातेदारी की भूमि पर बता रहा है तथा यह 08 बिस्वा भूमि अपीलांट के खातेदारी की है तथा अपीलांट का बोनाफाईड क्लेम होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 जैसी संक्षिप्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है इसीलिए भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट इस 08 बिस्वा भूमि पर मकान बडेर के समय से बना हुआ है और अपीलांट अपने परिवार सहीत इस मकान में रहवास निवास करती है, बिना नाप चौप की रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय की पालना हो जाने से अपीलांट अपूर्णि क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी सूरत में सम्भव नही हो सकेगी। अपीलांट की लाखो रुपयो की क्षति होगी तथा अपीलांट को बेघर होना पडेगा।

जिस जगह पर अपीलांट का कब्जा बताया गया हैं, वह कभी रास्ते की भूमि नही रही और न ही इस पर से कभी रास्ता चला है। रास्ता इस भूमि को छोडकर पूरी चौड़ाई लगभग 16 फुट मौके पर चालू है जिस भूमि का अपीलांट का अतिक्रमण बताया जा रहा है वह भूमि अपीलांट के खातेदारी की भूमि है। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की आड में अपीलांट के खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता कायम करने की अनुमति नही दी जा सकती।

माननीय न्यायालय अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 247 रास्ता, खसरा नम्बर 264 तथा रास्ते के दक्षिण के खेत तथा खसरा नम्बर 425 व 430 का नाप रिपोर्ट मंगाकर अपीलांट के साथ न्याय किया जाने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2018 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम हनुमानसागर के खसरा नम्बर 264 की 0.08 बीघा गै.मु. रास्ता की भूमि पर छपरा, बाड़ा व गेहूँ व मैथी कास्त कर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जो की भू अभिलेख निरीक्षक बिरलोका एवं पटवारी खटोड़ा की रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जो मौतबिरान के सक्षम अपीलान्ट के आबाद मकान पर चस्पा किया गया, परन्तु बावजूद सूचना के अपीलान्ट स्वंय ही अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा मौजा हनुमानसागर के खसरा नम्बर 264 की गैर मु0 रास्ता की 0.08 बीघा भूमि पर छपरा, बाड़ा बनाकर व गेहूँ व मेथी की कास्त कर नाजायज कब्जा किया गया है, जो भू.अभिलेख निरीक्षक बिरलोका एवं पटवारी खटोड़ा की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 से साबित है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 में अतिकमी को गत वर्ष सं. 2074 (खरीफ) में मु0नं0 294/2017 के द्वारा भी बेदखल करने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में पटवारी खटोड़ा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 जो भू अभिलेख निरीक्षक बिरलोका से जॉच शुदा है, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देने का वकील अपीलान्ट का कथन है उक्त संबंध में हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 30.1.2018 का अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिसकी एक फर्द मौतबिरान के समक्ष अपीलान्ट के आबाद मकान पर चस्पा की गई, परन्तु अपीलान्ट स्वंय अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में उसके विरूद्ध 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संस्थित होने की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय के विरूद्ध संस्थित उक्त प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर